न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डीगोद

महावीर बनाम लड्डूलाल वगै०

वाद- 88, 89 आरबीटी

प्रार्थना पत्र वास्ते वाद विड्रो किया जाने बाबत एवं पत्रावली तलब किया जाने

महोदय,

प्रार्थी निम्न निवेदन करता है।

1. यह कि उपरोक्त उनवान का एक वाद माननीय न्यायालय मे जेरकार है जिसमे आगामी तारीख पेशी 17-6-22 नियत है।

2. यह कि उपरोक्त उनवान के वाद को वादी आगे नही चलाना चाहता एवं कोई कार्य वाही नही चाहता जिससे न्याय हित मे पत्रावली तलब कर वादी का वाद विड्रो किया जाना न्यायोचित है।

Put up on date
7-7-22

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि उक्त उनवान की पत्रावली तलब कर वादी का वाद विड्रो किया जाने का आदेश प्रदान करे।

डीगोद
दिनांक
7-7-22

वादी
महावीर S/o लड्डूलाल
जाति मीणा R/o [illegible]
तह० डीगोद जिला कोटा
(राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2022.10.11 16:07:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, दीगोद जिला कोटा

महावीर बनाम लदूरलाल वगै0

किस्म मुकदमा– प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट नं0.. सन 2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.01.2020	प्रार्थना पत्र प्रार्थी महावीर की ओर से अभिभाषक श्री मायाराम स्वामी द्वारा उपस्थित होकर पेश किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया जावें, वकील श्री स्वामी को एकतरफा अस्थायी निषेधाज्ञा पर सुना गया। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी ने निवेदन किया है कि ता फैसला वाद प्रार्थी के पक्ष में प्रतिपक्षीगण के विरूद्ध एक अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की प्रसारित की जावें कि प्रतिपक्षीगण ग्राम भौंरा तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 394 रकबा 1.88 हे0, ख0नं0 421 रकबा 0.35 हे0, ख0नं0 524 रकबा 1.34 हे0 कुल किता 3 रकबा 3.57 हे0, ख0नं0 39 रकबा 0.06 हे0, ख0नं0 81 रकबा 0.02 हे0, ख0नं0 96 रकबा 1.04 हे0, ख0नं0 537 रकबा 1.32 हे0, ख0नं0 649/524 रकबा 0.67 हे0, ख0नं0 650/524 रकबा 0.67 हे0 कुल किता 6 रकबा 3.78 हे0 भूमि व ख0नं0 341 रकबा 0.65 हे0 भूमि तथा ख0नं0 537/592 रकबा 0.30 हे0 भूमि को अथवा उसके भाग की भूमि को किसी प्रकार से खुर्द बुर्द व बैचान तथा अन्तरण नहीं करें तथा उक्त कृत्य न तो स्वयं करें और न अपने प्रतिनिधि से करावें तथा मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत छायाप्रति प्रतिलिपि जमाबंदी सं0 2073–76 खाता नं0 185 ग्राम भौंरा तहसील दीगोद तथा अन्य दस्तावेंजो के आधार पर प्रथम दृष्ट्या केस प्रार्थी के पक्ष में नजर आता है। अतः अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिपक्षीगण इस आशय की जारी की जाती है विवादग्रस्त आराजी वाके ग्राम भौंरा तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 394 रकबा 1.88 हे0, ख0नं0 421 रकबा 0.35 हे0, ख0नं0 524 रकबा 1.34 हे0 कुल किता 3 रकबा 3.57 हे0, ख0नं0 39 रकबा 0.06 हे0, ख0नं0 81 रकबा 0.02 हे0, ख0नं0 96 रकबा 1.04 हे0, ख0नं0 537 रकबा 1.32 हे0, ख0नं0 649/524 रकबा 0.67 हे0, ख0नं0 650/524 रकबा 0.67 हे0 कुल किता 6 रकबा 3.78 हे0 भूमि व ख0नं0 341 रकबा 0.65 हे0 भूमि तथा ख0नं0 537/592 रकबा 0.30 हे0 भूमि के रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिपक्षीगण आगामी पेशी तक जारी की जाती है। यदि प्रतिपक्षीगण को कोई आपत्ति हो तो वह आगामी पेशी 25.02.2020 को न्यायालय में उपस्थित होकर पेश करें। पत्रावली वास्तें तलबी दिनांक 25.02.2020 को पेश हो। (जबर सिंह) उपखण्ड अधिकारी, दीगोद	
25/2/20	पत्रावली पेश हुई, वकील वादी/प्रतिवादी उपस्थित। पीठासीन अधिकारी के राजकार्य में व्यस्त होने से प्रकरण में सुनवाई नहीं हो सकी। पत्रावली पूर्ववत् दिनांक 24.3.20 को पेश हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2022.10.11 16:07:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील मे जारी हुआ
5-4-22	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी अनु. 31 प्रति नं. 2 अधिवक्ता भी उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रतिवादी नं. 2 का जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली में प्रतिवादी नं. 1 में तामील रही है। अतः वकील वादी को CPC O39 R3 के तहत पालना किया जाता है कि वह अप्रार्थी नं. 1 को तलबी खर्चे प्रति... [illegible] ... करवाये। पत्रावली वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु दिनांक 27-4-22 को पेश हो।	
27/4/22	पत्रावली पेश हुई, वकील वादी/प्रतिवादी उपस्थित। पत्रावलियां अधिक होने से प्रकरण में सुनवाई नहीं हो सकी। पत्रावली पूर्ववत दिनांक 26-5-22 को पेश हो।	
26/5/22	पत्रावली पेश हुई, वकील वादी/प्रतिवादी उपस्थित। पत्रावलियां अधिक होने से प्रकरण में सुनवाई नहीं हो सकी। पत्रावली पूर्ववत दिनांक 7-7-22 को पेश हो।	
7/7/22	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप. हैं। मूल वाद पत्र विरुद्ध प्रार्थना पत्र के आधार पर खारिज किया जा चुका है। अब प्रार्थना पत्र के चलने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः प्रार्थना पत्र 212 RT Act का खारिज किया जाता है। मूल वाद ... [illegible] ... पत्रावली ... [illegible]	

Signature Not Verified
Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2022.10.11 16:07:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner